

प्रेषक,

अरूण प्रकाश,

विशेष सचिव,

उ०प्र० शासन।

सेवा में,

जिलाधिकारी,

बदायूं, बाराबंकी, बहराइच, चन्दौली, चित्रकूट, जालौन, झांसी, ललितपुर, लखनऊ,
महोबा, मुरादाबाद, पीलीभीत एवं सीतापुर।

राजस्व अनुभाग-10

लखनऊ: दिनांक: 11-10-2026

विषय:- वित्तीय वर्ष 2026-27 में हेल्सटार्म/ओलावृष्टि मद-05 से प्रभावित हुए कृषकों को राहत सहायता/कृषि निवेश अनुदान प्रदान किये जाने के लिए राज्य आपदा मोचक निधि से धनावंटन।

महोदय,

उपर्युक्त विषय के सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि वित्तीय वर्ष 2026-27 में हेल्सटार्म/ओलावृष्टि से प्रभावित हुए कृषकों को राहत सहायता/कृषि निवेश अनुदान प्रदान किये जाने हेतु निम्नलिखित विवरण तथा शर्तों/प्रतिबन्धों के अधीन **रु0 2,33,99,04,171.00 (रु0 दो अरब तैंतीस करोड़ निन्यानबे लाख चार हजार एक सौ इकहत्तर मात्र)** की धनराशि निम्नलिखित तालिका के कॉलम-2 में अंकित जनपदों के सम्मुख कॉलम-4 में अंकित धनराशि सम्बन्धित जिलाधिकारियों के निवर्तन पर रखने की श्री राज्यपाल महोदया सहर्ष स्वीकृति प्रदान करती हैं-

क्र० सं०	जनपद	मद	स्वीकृत धनराशि (रु० में)
1	2	3	4
1	बदायूं	मद-05	58765794
2	बाराबंकी	मद-05	2906072
3	बहराइच	मद-05	69364187
4	चन्दौली	मद-05	31200241
5	चित्रकूट	मद-05	3659540
6	जालौन	मद-05	338478196
7	झांसी	मद-05	233340414
8	ललितपुर	मद-05	667001589
9	लखनऊ	मद-05	5346925
10	महोबा	मद-05	900000000

11	मुरादाबाद	मद-05	1347840
12	पीलीभीत	मद-05	23256688
13	सीतापुर	मद-05	5236685
योग			2,33,99,04,171/-
रु० दो अरब तैंतीस करोड़ निन्यानबे लाख चार हजार एक सौ इकहत्तर मात्र)			

नियम व शर्तें/प्रतिबन्धों

- (1) स्वीकृत धनराशि आहरित करके बैंक खाते में नहीं रखी जायेगी अपितु आपदा से प्रभावित व्यक्तियों/परिवारों को राहत सहायता प्रदान किये जाने हेतु शासन की शीर्ष प्राथमिकता के दृष्टिगत स्वीकृत की जा रही धनराशि का पारदर्शी एवं त्वरित ढंग से वितरित किये जाने हेतु वित्त विभाग के शासनादेश सं०-ए-1-803/दस-2013-10(28)/2011, दिनांक 10.10.2013 (उक्त शासनादेश पूर्व में सभी मण्डलायुक्त/जिलाधिकारीगण को प्रेषित किया जा चुका है, जिसे राहत की वेबसाइट पर देखा एवं प्राप्त किया जा सकता है) में निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार सम्बन्धित जनपदीय कोषागार से सीधे लाभार्थी के बैंक खातों में ई-पेमेन्ट (डी.बी.टी.) के माध्यम से ही भुगतान सुनिश्चित किया जाये।
- (2) जिस मद में शासन द्वारा धनराशि स्वीकृत की जा रही है उसी मद में इस धनराशि का उपयोग किया जायेगा। अन्य किसी भी मद/विभागीय कार्य हेतु धनराशि का व्यय कदापि न किया जाये। जनपद द्वारा टी.आर.-27 से आहरित धनराशि का प्रथमतः समायोजन किया जायेगा।
- (3) भारत सरकार के पत्र सं०-33-03/11.07.2023 द्वारा आपदा से प्रभावितों को राहत सहायता वितरित करने के निर्देश एवं मानक 2020-NDM-1 दिनांक दरें निर्धारित की गयी हैं। जनपद उक्त आवंटित धनराशि का वितरण भारत सरकार के उपरोक्त पत्र के अनुसार दिये गये निर्देशों एवं मानक दरों के आधार पर करेंगे।
- (4) राज्य आपदा मोचक निधि की धनराशि का व्यय सक्षम अधिकारी द्वारा वित्तीय एवं प्रशासनिक स्वीकृति प्राप्त करने के उपरान्त नियमानुसार प्रक्रिया का अनुपालन सुनिश्चित करते हुए निर्धारित अवधि के अन्दर किया जायेगा।
- (5) आपदा से प्रभावित व्यक्तियों को राहत सहायता प्रदान करने से पहले उनकी पात्रता का परीक्षण सुसंगत शासनादेशों में उल्लिखित व्यवस्था के अनुरूप करने की व्यक्तिगत जिम्मेदारी जिलाधिकारी की होगी।
- (6) निधि से प्रदत्त धनराशि आपदा राहत हेतु प्रदान की जाती है। अतः आपदा के अनुसार राहत की आवश्यकता का निर्धारण करना तदनुसार धन उपलब्ध कराना तथा इसका सदुपयोग सुनिश्चित करना, व्यय का पूर्व विवरण शासन की निर्धारित तिथि तक उपलब्ध कराना जिलाधिकारी का कर्तव्य है। अतः आपदा मोचक निधि से प्रदत्त धनराशि का प्रत्येक

स्तर पर पूर्ण सजगता के साथ समुचित उपयोग सुनिश्चित किया जाये, आपदा मोचक निधि से प्रदत्त धनराशि के प्रयोग /उपभोग/ समर्पण/ वितरण के सम्बन्ध में जारी सुसंगत शासनादेशों के अनुपालन में किसी भी प्रकार की शिथिलता/ लापरवाही बरती जाती है तो इसके लिए जिलाधिकारी उत्तरदायी होंगे।

(7) राज्य आपदा मोचक निधि से स्वीकृत धनराशि का जिला स्तर पर समुचित लेखा-जोखा रखा जाये तथा माह के अंत में जिलाधिकारी द्वारा हस्ताक्षरित मदवार मासिक व्यय विवरण निर्धारित प्रारूप पर उपलब्ध कराना सुनिश्चित किया जाये।

(8) राज्य आपदा मोचक निधि से स्वीकृत धनराशियों के उपभोग/समर्पण के संबंध में शासनादेश सं0-2/1- 11-2013-रा0-11, दिनांक 04.03.2013 का अनुपालन किया जायेगा। शासन द्वारा स्वीकृत धनराशि में से यदि कोई बचत/अवशेष की स्थिति बनती है तो उसे वित्तीय वर्ष के समापन/दिनांक 31 मार्च, 2027 से पूर्व शासन को नियमानुसार समर्पित कर दिया जाये।

(9) उक्त धनराशि का उपभोग प्रमाण-पत्र वित्तीय हस्तपुस्तिका खण्ड-5 भाग-1 के प्रस्तर-369-एच के अधीन निर्धारित प्रारूप सं0-42 आई में शासन को उपलब्ध कराया जाये।

(10) व्यय की गयी धनराशि महालेखाकार कार्यालय में सही मदों में पुस्तांकन कराया जाये और प्रत्येक माह में महालेखाकार कार्यालय से आंकड़े समाधानित एवं सत्यापित कराकर शासन को सूचित किया जाये।

(11) सम्बन्धित जिलाधिकारी का यह व्यक्तिगत उत्तरदायित्व होगा कि प्रत्येक दशा में किसी अपात्र व्यक्ति/परिवार को कृषि निवेश अनुदान का लाभ न मिले तथा कृषि निवेश अनुदान के रूप में वितरित की जाने वाली उक्त धनराशि का प्रभावी अनुश्रवण राहत आयुक्त, उ0प्र0 द्वारा सुनिश्चित किया जायेगा तथा इसकी सूचना शासन को प्रेषित की जायेगी।

(12) फसल क्षति से प्रभावित क्षेत्रफल व कृषकों का शत-प्रतिशत डाटा फीडिंग राहत पोर्टल पर पूर्ण करा ली जाय।

(13) भारत सरकार के मानकों के अनुसार ही राहत राशि का वितरण ऑनलाइन पोर्टल के माध्यम से किसानों के खाते में कराया जाये।

(14) राहत राशि के भुगतान हेतु निर्गत भारत सरकार की गार्डलाइन एवं समय-समय पर जारी किये गये शासनादेशों का अनुपालन सुनिश्चित किया जाये।

(15) फसल क्षति के सापेक्ष देय राहत राशि का वितरण अतिशीघ्र करा लिया जाये।

(16) भारत सरकार की गार्डलाइन में देय न्यूनतम दर से कम की धनराशि किसी भी किसान के खाते में अंतरित न की जाये।

2- इस सम्बन्ध में होने वाला व्यय ₹0 2,33,99,04,171.00 (₹0 दो अरब तैंतीस करोड़ निन्यानबे लाख चार हजार एक सौ इकहत्तर मात्र) चालू वित्तीय वर्ष 2026-27 के आय-व्ययक में अनुदान संख्या 051 लेखा शीर्षक- 2245058000605 ओलावृष्टि से राहत हेतु

स्टेट डिजास्टर रिस्पांस फण्ड से व्यय मानक मद 42 अन्य व्यय के नामे डाला जायेगा।

3- यह आदेश वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय ज्ञाप संख्या- 4/2026/बी-1-812/दस-2026-231/2026, दिनांक 28 मार्च, 2026 में प्रशासकीय विभाग को उक्तवत प्रतिनिधानित अधिकार के अंतर्गत निगत किये जा रहे हैं।

Digitally ~~अरुण प्रकाश~~

ARUN PRAKASH

Date: 11-10-2026 15:37:05

(अरुण प्रकाश)

विशेष सचिव।

संख्या- 1211(1)/एक10-2026- तदिदनांक 1

प्रतिलिपि- निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

- 1- महालेखाकार प्रथम/आडिट प्रथम, उ0प्र0 प्रयागराज।
- 2- सम्बन्धित मण्डलायुक्त, उ0प्र0।
- 3- आयुक्त एवं सचिव, राजस्व परिषद्, उ0प्र0, लखनऊ।
- 4- राहत आयुक्त, उत्तर प्रदेश लखनऊ।
- 5- विशेष सचिव/नोडल अधिकारी, बजट आवंटन (ई-बजट), राजस्व विभाग, उ0प्र0 शासन।
- 6- वरिष्ठ वित्त एवं लेखाधिकारी, कार्यालय राहत आयुक्त संगठन, उ0प्र0।
- 7- सम्बन्धित जनपदों के कोषाधिकारी/मुख्य कोषाधिकारी, उ0प्र0।
- 8- वित्त (व्यय-नियंत्रण) अनुभाग-5
- 9- गार्ड फाइल ।

आज्ञा से,

(अरुण प्रकाश)

विशेष सचिव।

Allotment Grid Report

वित्तीय वर्ष:-2026-2027
आवंटन दिनांक-11/10/2026

प्रेषण संख्या:-
आवंटन आदेश संख्या:-
अनुदान संख्या:-
लेखाशीर्षक:-

15
001-1211
51 राजस्व विभाग (दैवी विपत्तियों के सम्बन्ध में राहत)(वित्तीय वर्ष 2026-2027 का आवंटन)
2245 - प्राकृतिक विपत्ति के कारण राहत(आयोजनेत्तर-मतदेय)
05 - स्टेट डिजास्टर रेस्पान्स फण्ड
800 - अन्य व्यय
06 - स्टेट डिजास्टर रेस्पान्स फण्ड से व्यय (राज्यांश)
05 - ओलावृष्टि राहत हेतु स्टेट डिजास्टर रिस्पांश फण्ड से व्यय
(धनराशि रु. में)

S.No.	अधिकारी/जनपद का नाम		42-अन्य व्यय	योग
1	बदायूं-4217-जिलाधिकारी , --01--	वर्तमान प्रणामी	58765794 58765794	58765794 58765794
2	मुरादाबाद-4217-जिलाधिकारी , --01--	वर्तमान प्रणामी	1347840 1347840	1347840 1347840
3	पीलीभीत-4217-जिलाधिकारी , --01--	वर्तमान प्रणामी	23256688 23722688	23256688 23722688
4	झाँसी-4217-जिलाधिकारी , --01--	वर्तमान प्रणामी	233340414 334801414	233340414 334801414
5	जालौन-4217-जिलाधिकारी , --01--	वर्तमान प्रणामी	338478196 434350196	338478196 434350196
6	लखनऊ कलेक्ट्रेट -4217-जिलाधिकारी , --01--	वर्तमान प्रणामी	5346925 5346925	5346925 5346925
7	सीतापुर-4217-जिलाधिकारी , --01--	वर्तमान प्रणामी	5236685 5864685	5236685 5864685
8	बहराइच-4217-जिलाधिकारी , --01--	वर्तमान प्रणामी	69364187 69364187	69364187 69364187
9	बाराबंकी-4217-जिलाधिकारी , --01--	वर्तमान प्रणामी	2906072 7068072	2906072 7068072
10	ललितपुर-4217-जिलाधिकारी , --01--	वर्तमान प्रणामी	667001589 725878589	667001589 725878589
11	महोबा-4217-जिलाधिकारी , --01--	वर्तमान प्रणामी	900000000 940046000	900000000 940046000
12	चन्दौली-4217-जिलाधिकारी , --01--	वर्तमान प्रणामी	31200241 38045241	31200241 38045241

S.No.	अधिकारी/जनपद का नाम		42-अन्य व्यय	योग
13	चित्रकूट-4217-जिलाधिकारी, --01--	वर्तमान प्रगामी	3659540 4560540	3659540 4560540
	योग	वर्तमान प्रगामी	2339904171 2649162171	2339904171 2649162171

महायोग- (वर्तमान आवंटन):-
महायोग- (प्रगामी आवंटन):-

रूपया दो अरब तैंतीस करोड़ निन्यानवे लाख चार हजार एक सौ इकत्तर
रूपया दो अरब चौसठ करोड़ इकानवे लाख बासठ हजार एक सौ इकत्तर

(अरविन्द कुमार सिंह)
वरिष्ठ वित्त एवं लेखाधिकारी